न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः161/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00110)

1. कानसिंह पि. मु. जडाव बेवा नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी भिकमपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।
2. रघुवीर सिंह पुत्र विजय सिंह, जाति राजपूत, निवासी भिकमपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र बनवारी लाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी भिकमपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 12.10.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर के आदेश दिनांक 09.07.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि इन्तकाल संख्या 117 दिनांक 22.01.1983 वाके ग्राम भीकमपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के विरूद्ध एक अपील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा तहत न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 152 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम भीकमपुरा अपीलान्ट के बुजुर्गो के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसे अपीलान्ट के बुजुर्गो ने रेस्पोन्डेन्ट के बुजुर्गो के यहां रहन बिल कब्जा सैकड़ों वर्ष पूर्व रखी थी। उस पर सैंकड़ों वर्षों से अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्ट का व उनके पूवर्जो का कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में रहन व मुर्तहन का इन्द्राज चला आ रहा है। दिनांक 22.01.1983 की जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम बहिस्सा बराबर व छाजा, शम्भू पुत्र अर्जुन, जाति ब्राहाम्ण, मुर्तहेन काश्त का इन्द्राज है परन्तु तहसीलदार, थानागाजी ने नामान्तरकरण संख्या 117 अपीलान्ट्स के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि तहसीलदार को उक्त आदेश पारित करने का कोई अधिकार नही होना कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 30.12.2015 को करीब 32 साल पश्चात् प्रस्तुत की गई। तहत न्यायालय ने 32 साल देरी से प्रस्तुत की गई अपील पर बिना किसी कानून के मियाद को कन्डोन करने में अहम् कानूनी गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर निर्णय करना चाहिए था लेकिन तहत न्यायालय ने कानून के विपरित जाकर दफा 5 का निर्णय अपील के साथ किये जाने में अहम् कानूनी गलती ही है जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने यह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

भी कथन किया है कि तहत न्यायालय को 33 साल के विलम्ब को बिना किसी कारण के कन्डोन किया गया व इतने लम्बे अन्तराल के बाद अपील प्रस्तुत की गई। जिसका कोई संतोषजनक कारण भी तहत न्यायालय के समक्ष नहीं था और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई। जिससे यह साबित होता है कि इन्तकाल संख्या 117 का ज्ञान अपीलान्ट को पूर्व में नहीं था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम् बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया जो काबिल गौर है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सेक्शन 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर भी बगैर किसी युक्तियुक्त कारण के स्वीकार किया गया है जबकि रेस्पोन्डेन्ट को तहत न्यायालय में 32 साल बाद प्रस्तुत अपील करने की इजाजत कानूनन नहीं दी जा सकती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया जो काबिले गौर है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील बनवारी के पुत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है जबकि छाजा के वारिस स्वयं बनवारी रेस्पोन्डेन्ट के पिता व अन्य वारिस श्रीमती सुखदेवी बेवा छाजा, प्रभू पुत्र छाजा, जगदीश पुत्र छाजा जीवित है साथ ही शम्भू पुत्र अर्जुन भी जिंदा मौजूद है इनके द्वारा इन्तकाल संख्या 117 के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई। इस अहम् बिन्दु को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया जो काबिले गौर है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोन्डेन्ट के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 151 व 152 छाजा व अर्जुन को रहन रखना बताया गया है और छाजा व अर्जुन के वारिसान द्वारा कोई अपील तहत न्यायालय में इन्तकाल संख्या 117 के विरूद्ध नहीं की गई है। तहत न्यायालय में प्रस्तुत अपील बनवारी के पुत्र चन्द्रप्रकाश द्वारा की गई है जिसे अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर है। उन्होने आगे कथन किया है कि मृतक छाजा व अर्जुन के वारिसान द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 189 राजस्थान काश्कारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी, अलवर के न्यायालय में मिन अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। जिस वाद में उक्त इन्तकाल के संबंध में जानकारी दिनांक 04.06.2014 को होना बताते है। जबकि अपील इन्तकाल में जानकारी होना 17.12.2015 को बताई जाती है। इससे स्पष्ट है कि तहत न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतया मियाद बाहर थी और यह इनका एडमिशन भी दावे के जिमन नम्बर 8 में स्पष्टतया दर्ज है और जिस वाद की प्रति तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद भी तहत न्यायालय द्वारा इस अहम् बिन्दु पर गौर नहीं किया गया और रेस्पोन्डेन्ट की स्वीकारोक्ति के बावजूद दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अहम् गलती की है जो काबिले गौर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि छाजा व अर्जुन के वारिस द्वारा प्रस्तुत वाद सुखदेव बनाम कानसिंह मुकदमा नम्बर 1/112 सन् 2014

दिनांक 25.05.2017 को खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में जब नियमित वाद सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तो इन्तकाल जैसी फिस्कल कार्यवाही में कोई रिलिफ रेस्पोन्डेन्ट को नहीं दी जा सकती थी लेकिन तहत न्यायालय ने बिना गौर किये गलत खिलाफ मनशाये कानून व वाकेआत अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर राजस्थान दिनांक 09.07.2019 निरस्त फरमाया जावे व इन्तकाल संख्या 117 दिनांक 22.01.1983 वाके ग्राम भीकमपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि विजयसिह व कानसिंह के पूर्वजों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वजों के यहाँ रहन बिल कब्ज सैकेड़ों वर्ष पूर्व रखा था तथा खतौनी जमाबन्दी आदि में निरन्तर राहिन मुर्तहन का इन्द्राज चला आ रहा है परन्तु तहसीलदार थानागाजी ने बिना किसी क्षेत्राधिकार के नामान्तरकरण संख्या 117 स्वीकार किया है एवइनिशियों वाई आदेश है तथा ऐसे एवनिशियों आदेश को किसी भी समय चुनौती दिया जा सकता है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालयों एवं माननीय उच्चतम न्यायालयों के अनेको नजीरे है जिनमें एवइनिशियों वाईड आदेश को निरस्त करने की कोई मियाद नही माना है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश अनेक कारणो से विचाराधिकार शून्य है सर्वप्रथम मुख्य कारण यह है कि राज. टीनेन्सी एक्ट लागू होने की तारीख 15.10.1955 से पूर्व के जो रहन है उस रहन के संबंध में राज. टिनेन्सी एक्ट में संशोधन करके एक नई धारा 43ए जोड़ी जा चुकी थी जिसमें यह प्रावधान है कि टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पूर्व के समस्त रहन बिल कब्ज पर पुराना कानून ही प्रभवशील होगा और उसके संबंध में अधिकारों का निर्णय करने का विचाराधिकार केवल सहायक कलेक्टर हो ही होगां चूंकि वादग्रस्त रहन सैकड़ों वर्ष पुराना होने के कारण टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व का है इसलिए इसके अधिकारों का निर्णय करने का विचाराधिकार केवल सहायक कलेक्टर को ही है ऐसे में प्रकरण तहसीलदार थानागाजी को विचाराधिकार ही नहीं था और उन्होनें मूर्तहन के नाम को हटाकर भूमि को रहन मुक्त कर रेस्पोन्डेन्ट को खातेदार बनाने का जो आदेश दे दिया वह स्पष्टतया विचाराधिकार शून्य है जो निरस्तनीय ही था।

यह कि अपीलाधीन आदेश के सरासर अवैध और निरस्तनीय होने का महत्वपूर्ण दूसरा आधार यह भी है कि इस नामान्तरकरण के कालम नम्बर 5 में ही छाजा, शम्भू पुत्र अर्जुन जाति ब्राहाम्ण मूर्तहिन व काश्त मूर्तहिन होना अंकित है जिनका नाम इस नामान्तरकरण द्वारा हटा दिया गया है परन्तु छाजा, शम्भू पुत्र अर्जुन ब्राहाम्ण को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया व उनको बुलाये बगैर ही उनकी अनुपस्थिति में आदेश पारित

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

कर दिया गया जबकि श्रीमती मेनका गांधी के सुप्रसिद्ध केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.आर. 1976 एस.सी. पेज 579 पर पूरे देश के लिए यह कानून बना दिया है कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तानुसार पीड़ित पक्षकार को नोटिस दिये बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अगर कर दिया गया है तो प्रिंसीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है व निरस्तनीय हैं। इसलिए भी यह आदेश एवइनिश्यिो वाईड है।

यह कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के कालम नम्बर 14 में यह अंकित है कि स्वयं तहसीलदार ने दिनांक 21.01.1983 को मुतहल्का इन्द्राज खारिज करने का आदेश फरमाया है जबकि उन्हें ऐसा विचाराधिकार ही नहीं है और तत्पश्चात् स्वयं ने ही अपने इस अवैध आदेश के आधार पर दिनांक 22.01.1983 को नामान्तरकरण तस्दीक फरमा दिया व उस समय भी पीड़ित पक्षकार छाजा व शम्भू को सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि तहसीलदार ने बगैर कोई जांच किये यह गलत अंकित कर दिया कि नियमानुसार राहिन भूमि पांच वर्ष बाद रहन मुक्त हो जानी चाहिए इसलिए रहन की अवधि 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है परन्तु उन्होनें यह जांच नहीं की कि वादग्रस्त रहन कितने वर्ष पूर्व किया गया था और रहन को मात्र 5 वर्ष पूर्व ही किया गया मानकर सरासर अवैध निर्णय फरमा दिया क्योंकि उनको निर्णय तो राज. टिनेन्सी एक्ट की धारा 43 के अन्तर्गत फरमाया है जो इस केस में लागू ही नहीं होती है क्योंकि धारा 43 तो टिनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद किये गये रहन पर लागू है और टिनेन्सी एक्ट से पूर्व के रहन पर धारा 43 नहीं धारा 43ए लागू होती है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को और उसके पिता बनवारीलाल तथा छाजा के अन्य पुत्र जगदीश आदि को प्रश्नगत नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं हुई व दिनांक 22.01.1983 से अब तक कोई विवाद भी नहीं हुआ था परन्तु दिनांक 07.12.2015 को अपीलान्ट ने धमकी दी कि उनके नाम नामान्तरकरण हो चुका है इसलिए वे भूमि को अन्य को बेचकर तुम्हें बेदखल करेंगे तो रेस्पोडेन्ट ने तारीख 09.12.2015 को ही नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल दिनांक 09.12.2015 को प्राप्त हुई व प्राप्त होते ही अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी तथा रफाए हुज्जत देरी कंडोन करने के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही बाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 की पुष्टि की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह तथ्य

निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों का यहॉ रहन बिल कब्ज सैकेडो वर्ष पूर्व रखा गया था जिस रहन को 5 वर्ष से अधिक का होने के कारण तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.01.1983 को हटाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 117 स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो केवल एक फिस्कल कार्यवाही होती है जिससे किसी भी पक्षकारान के हक हकूक अधिकार तय नही होते है। यदि रेस्पोडेन्ट के उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हक हकूक अधिकार बनते है तो इसके लिये उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित दावा के माध्यम से ही अपने हक हकूक अधिकार तय कराने चाहिये, नामान्तरकरण की कार्यवाही से वे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकते। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध असाधारण विलम्ब लगभग 32 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई तथा उक्त असाधारण विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई संतोषजनक कारण भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही थे उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 को खारिज किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 22.01.1983 वाके ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर को बहाल किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर